न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 01/2019/अपील

हनुमान प्रसाद पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 भंवरलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील ~~खण्डेला~~ दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 तहसीलदार दांतारामगढ़

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.10.2018 मु.न. 02/2018 अनुवानी भंवरलाल बनाम हनुमान द्वारा न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री झाबरमल रायल
वकील रेस्पोडेंट श्री बजरंगलाल बिजारणिंया

निर्णय दिनांकः—21.06.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार दांतारामगढ के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 251 के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम राजपुरा से चक गोपीनाथपुरा जाने वाली ग्रेवल सडक से शहीद अभयसिंह स्मारक तक आने जाने वाला कदीमी रास्ता है, जो खसरा नम्बर 77 से शुरू होकर खसरा 12,13,14,23 से होते हुए आगे खसरा नम्बर 6 त 7 में प्रवेश कर आगे शहीद स्मारक तक जाता है। उक्त रास्ते को खसरा नम्बर 77 के खतेदार हनुमान पुत्र नानूराम ने बंद कर दिया है। उक्त रास्ते को खुलवाया जावे। आवेदन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गई । हल्का पटवारी की झुंठी व एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ ने अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 77 ग्राम राजपुरा में से 12 फुट चौडा रास्ता निकालने का आदेश पारित का दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब, तथ्यों व राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन तक नहीं किया। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में नियत पेशी पर ही जवाब पेश कर दिया था। उसके पश्चात पत्रावली में साक्ष्य ली जाकर निर्णय किया जाना था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य पेश करने का अवसर तक नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जो आवेदन पेश किया गया, उसमें खसरा नम्बर 77 के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। खसरा नम्बर 77 में कुल 14 खातेदार है, जिनमें से केवल मात्र एक खातेदार हनुमान को ही पक्षकार बनाया गया है। समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया जाना न्याय संगत नहीं है। हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.2018 में खसरा नम्बर 973, 972 व 1001 में से डोटेड लाईन से रास्ता अंकित है। उक्त रास्ता चालू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से जो कि डोटेड लाईन से रास्ता कटा हुआ है। उक्त रास्ते से वह आसानी से अपने खेत खसरा नम्बर 6 व 7 में प्रवेश कर शहीद स्मारक तक जा सकता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अपीलाधीन आदेश की आड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 77 वाकै ग्राम राजपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में से नया रास्ता निकालने पर आमदा है। खसरा नम्बर 77 अपीलांट की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, कृषि भूमि में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा ना ही रेवेन्यू रिकार्ड व नक्शा, सर्वेशीट में रास्ता कटा हुआ है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से साज कर उपरोक्त आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 मु0नं0 2/2018 उनवानी भंवरलाल बनाम हणमान निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भंवरलाल पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी राजपुरा द्वारा परिवाद ग्राम राजपुरा से चकगोपीनाथपुरा जाने वाले प्रचलित कदीमी रास्ते को खुलवाने बाबत पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.01.2018, 08.02.2018, 30.05.2018 व 24.07.2018 में अंकित किया गया है कि "खसरा नम्बर 77 रकबा 4.85 है0 रामादेवी बेवा नानूराम हनुमान प्रसाद पि नानूराम, भाना पि हेमा वगै0 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 77 से शुरू होकर खसरा नम्बर 12, 13, 14, 23 से होते हुए खसरा नम्बर 6 व 7 में कदीमी रास्ता वर्षों से चालू था जिसको हनुमान पुत्र नानूराम व उसके परिवार के सदस्यों ने रास्ता कांटो की बाड़ लगाकर बन्द कर दिया गया। खसरा नम्बर 972, 973, 1001 के संयुक्त खातेदारों ने बताया कि भंवरलाल शिशराम पुत्र दीपाराम जाट उक्त डॉट-डॉट रास्ते से न तो कभी आते जाते है-न ही वर्तमान में आ जा रहे है। डॉट-डॉट रास्ता करीब 15-20 वर्षो से बन्द पड़ा है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि भंवरलाल शिशराम पुत्र दीपाराम ग्राम लोसल से चक जाने वाली ग्रेवल सड़क से ग्राम राजपुरा के खसरा नम्बर 77 व 97 की सींव के सहारे सहारे आने जाने का रास्ता था, जिसको वर्तमान में हनुमान प्रसाद पुत्र नानूराम वगै0 ने रास्ता बन्द कर दिया है। खसरा नम्बर 77 व 97 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ का स्थगन आदेश है।" उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ के न्यायालय में वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019 में दिनांक 02.01.2018 को भूमि खसरा नम्बर 72 ता 77, 82 ता 90 के सम्बंध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किया हुआ था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रकरण में धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने की कार्यवाही करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा अपना निर्णय दिनांक 24.05.2018 पारित कर अंकित किया है कि "तहसीलदार दांतारामगढ़ की और से धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है तो इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.01.2018 प्रभावी नहीं होगा।" न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 3893/2018 में पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 में अंकित किया गया है कि "धारा 251 का आदेश सुखाचार की श्रेणी में आता है, यदि बंटवारे का दावा काफी समय तक विचाराधीन रहता है तो ...

विचारण न्यायालय द्वारा अपने में निहित अधिकारों का प्रयोग कर धारा 251 अधिनियम की कार्यवाही के सम्बंध में जो आदेश दिया गया है, वह उचित है, जिसे किसी भी प्रकार से अनियमित एवं त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।" अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व स्वयं द्वारा मौका देखा गया है जो आदेशिका दिनांक 15.10.2018 से प्रमाणित है। आदेशिका दिनांक 15.10.2018 में लिखा गया है कि पत्रावली मौका देखने के उपरांत पेश हुई। उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 77 में रास्ता अप्रार्थी द्वारा गाड़ी चीला रास्ता बन्द किया हुआ है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं दस्तावेजात से यह सिद्व होता है कि पूर्व में प्रचलित रास्ते को भूमि खसरा नम्बर 77 के खातेदार द्वारा बन्द कर रखा है जो सुखाचार की श्रेणी में आता है। इस सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा भूमि खसरा नम्बर 77 में बन्द रास्ते को खुलवाने के सम्बंध में पारित आदेश दिनांक 18.10.2018 यथेष्ठ एवं पर्याप्त है जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official